33

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA -800001

NO. L.A.Sur/ 1002 **Dated: -** 29/5/08

To,

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development Department,
Patna.

13/06/08

Sir,

Audit Report **No 867/2007-08** on the accounts of **Nagar Panchayat, Bairgania** for the Period **2001-02 to 2006-07** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours faithfully

29.05.08

(J.P.Tiwari)
Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

Encl: -As above

0 9 JUN 2008

11/6/08

13.6.08

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 867/07-08

नगर पंचायत बैरगनियाँ (सीतामढ़ी)

(1) प्रस्तावना :-

नगर पंचायत बैरगनियाँ (सीतामढ़ी) के लेखा परीक्षा अवधि 2001-02 से 2006-07 तक के लेखाओं की नमूना जाँच लेखा परीक्षा, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना के स्थानीय लेखा परीक्षा, बिहार के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 07-01-08 से 16-02-08 तक की गई ।

(2) प्रशासन :-

अध्यक्ष	
(1) श्री बलराम सिंह /अनु0 पदा0	1.04.01से 31.8.02
(2) श्री उमेश चन्द्र जायसवाल	1.9.02से 3/06 तक
(3) श्री जमीर साह	1.04.06से 31.3.07
उपाध्यक्ष	
(1) - रिक्त -	1.04.01से 31.8.07
(2) श्रीमति गिरीजा देवी	1.9.02से 31.3.07
कार्यपालक पदाधिकारी	
(1) - रिक्त -	1.4.01से 1/03 तक
(2) श्री अशोक कुमार	2/03से 1/05 तक
(3) श्री युगल किशोर सिंह	2/05से 5/05 तक
(4) श्री हरिहर प्रसाद	6/05 से 3/06 तक
(5) - रिक्त -	
(6) अनुज कुमार	8/06 से 9/07 तक

(3) लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र :-

लेखा परीक्षा में उपलब्ध एवं नमुना लेखा परीक्षा की गई अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट -I में तथा अनुपलब्ध/असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट -II में दी गई है ।

(4) पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं तत्संबंधी कंडिकाओं पर की गई कार्यवाही पर कार्यपालक का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण करने की दिशा में उचित कदम उठाया जाय ।

31

(5) वित्त :-

नगर पंचायत बैरगनिया के वर्ष 2001-02 से 2006-07 के दौरान आरंभिक शेष, प्राप्ति, व्यय एवं अंतिम शेष का विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

कम सं0	विवरण	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
		रू0 लाख में					
1.	आरंभिक शेष	4.71	4.60	20.00	27.29	29.63	13.92
2.	वर्ष के दौरान प्राप्ति	7.02	25.25	23.04	11.50	49.55	129.13
3.	कुल योग	11.73	29.85	43.04	38.79	79.18	143.05
4.	वर्ष के दौरान व्यय	7.13	9.85	15.75	9.16	65.26	115.53
5.	अंतिम शेष	4.60	20.00	27.29	29.63	13.92	27.52

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट **III** पर दिया गया है ।)

उपर के विवरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत का अंतिम शेष मार्च 07 में 27.52 लाख था । पर यह नगर पंचायत की वास्तविक वित्तीय स्थिति को नही दर्शाता है । नगर पंचायत द्वारा वर्षवार वसूल किये गये राजस्व एवं स्थापना तथा प्रशासनिक व्यय की स्थिति नीचे दिया गया है ।

कम सं0	वर्ष	वसूल किया गया राजस्व	स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय	अन्तर
1.	2001-02	171066.50	413039.00	(-)241972.50
2.	2002-03	45711.00	285206.00	(-)239495.00
3.	2003-04	17524.00	531313.00	(-)513789.00
4.	2004-05	153928.00	337414.00	(-)183486.00
5.	2005-06	32596.00	951815.00	(-)919219.00
6.	2006-07	शून्य	654403.00	(-)654403.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति काफी नाजुक है । प्रतिवर्ष वसूल किया गया राजस्व नगर पंचायत के स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय को पूरा कर पाने में समर्थ नहीं था ।

नगर पंचायत के बोर्ड एवं कार्यपालक पदाधिकारी इस दिशा में आवश्यक कदम उठायें, जिसमें नया कर पुर्ननिर्धारण, पेशाकर लागु करना इत्यादि शामिल है, जिससे नगर पंचायत के राजस्व में वृद्धि हो सके तथा नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति मजबुत हो सके।

6. समाधान विवरणी :–

नगर पंचायत, बैरगनिया द्वारा मार्च 07 को समाप्त हुए वित्तिय वर्ष का समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया ।

उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही एवं बैक पासबुक के आधार पर समाधान विवरणी तैयार किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है ।

रोकड़ बही का शेष (31.03.07) 2752511.21

पी0एल0/ बैक का शेष (31.03.07) 1820983.14

अन्तर (+) **931528.07**

बैंक शेष का विवरण :–

पी0एल0खाता 386581.28

इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 90011 ....697641.00

स्टेट बैंक खाता सं0 011900058774 ....419718.86

बैंक ऑफ बड़ौदा खाता सं0 3747 ....317042.00

1820983.14

अन्तर का विस्तृत विवरण :–

अनुदान जो रोकड़ बही में दर्ज किया गया पर बैंक में 31.03.07तक जमा नही किया गया	(1) XIIth वित (+)	668424.00
	(2) उपकरण खरीद (+)	425000.00
	(+)	**1093424.00**
ब्याज, विविध आय, नकद (हाथ में) इत्यादि, जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया	(1) ब्याज (–)	105675.00
	(2) ब्याज (–)	15359.02
	(3) ब्याज (–)	33017.00
	(4) विविध आय (–)	6185.90
	(5) नकद (–)	1659.01
	(–)	**161895.93**

शुद्ध अन्तर (+) **931528.07**

7. आन्तरिक लेखा परीक्षा :–

बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 अथवा उसके नियमों के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु कोई स्पष्ट प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन बिहार नगरपलिका लेखा नियम के नियम 20,64 एवं 73 (क) में यह व्यवस्था दी गई थी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी, लेखापाल अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत प्रधिकारी द्वारा नियमित रूप से आय एवं

29)

व्यय की आन्तरिक जाँच की जायेगी ताकि किसी भी अनियमितता की संभावना को दूर किया जा सके । नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि किसी भी स्तर पर आन्तरिक जाँच नहीं की गई ।

नगर पंचायत प्राधिकारियों की ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि नियमित रूप से आन्तरिक जाँच की व्यवस्था की जाय तकि भविष्य में किसी भी अनियमितता की संभावना को दूर किया जा सके ।

8. <u>रोकड़ बही</u> :-

रोकड़ बही का संधारण सही ढ़ग से नही किया गया था । इसके संधारण में निम्नलिखित त्रुटियों पाई गई ।

(1) नगर पंचायत, बैरगनिया द्वारा लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पी0एल0खाते सहित चार खाते संचालित थें । इन चारों खाते से संबंधित प्रविष्टियाँ दो अलग-अलग रोकड़ बहियों में छिट-पुट रूप से दर्ज था ।

(2) रोकड़ बही का दैनिक एवं मासिक बंदी नहीं किया गया था

(3) रोकड़ शेष एवं बैंक शेष का समाशोधन विवरणी नहीं बनाया गया था ।

(4) कई जगहों पर प्राप्तियों एवं कई जगहों पर भुगतान का विस्तृत विवरण दर्ज नहीं था ।

रोकड़ बही का सही ढ़ंग से संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

9. <u>सरकारी अनुदान</u> :-

अनुदान पंजी संधारित नहीं था । वर्ष 2001-02 से 2006-07 के दौरान कुल रू0 329038 का अनुदान कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए प्राप्त हुआ, जिसका व्यौरा नीचे दिया गया है :-

रोकड़ बही की तिथि	**रकम**
31.03.02	65405
31.03.03	66398
09.03.04	59720
01.05.05	56623
06.03.06	26964
31.03.06	53928
कुल	**329038**

अनुदान पंजी संधारित नहीं होने से पूर्व में प्राप्त अनुदानों की स्थिति का पता नहीं चल सका । अनुदान पंजी संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय ।

10. सरकारी ऋण :-

नगर पंचायत द्वारा ऋण पंजी संधारित नहीं किया गया था । वर्ष 2001-02 से 2006-07 के दौरान रू0 24814.00 ऋण के रूप में प्राप्त हुए, जो कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए था । प्राप्त ऋण का व्यौरा नीचे दिया गया है :-

रोकड़ बही की तिथि	रकम
31.03.02	65405
31.03.01	66399
09.03.04	59720
01.05.05	56623
कुल	**248147**

ऋण पंजी संधारित नहीं रहने से पूर्व में प्राप्त ऋण, उस पर देय ब्याज, लौटाई गई राशि एवं शेष का पता नहीं चल सका । ऋण पंजी संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय ।

11. अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क :-

अतिरिक्त मुद्रांक पंजी संधारित नहीं था । वर्ष 2001-02 से 2006-07 के दौरान कुल रू0 11.36 लाख अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क के रूप में प्राप्त हुए, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

रोकड़ बही की तिथि	रकम
02.07.01	99836.00
04.05.03	197044.00
28.02.04	250172.00
01.08.05	243103.00
3103.06	262978.00
कुल	**1136335.50**

अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की पंजी संधारित नहीं रहने से पूर्व में प्राप्त अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क, किस तिमाही तक की राशि प्राप्त हुई, किस उद्देश्य पर खर्च किया गया, इत्यादि का पता नहीं लगाया जा सका ।

अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क पंजी संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय ।

12. फॉर्म 'H' रसीद से संदेहास्पद वसूली :-

फॉर्म 'H' रसीद के जाँच के कम में पाया गया कि कुछ रसीद की द्वितीय प्रति (कार्बन प्रति) स्याही से लिखा गया था। विवरण निम्न प्रकार है :-

कम सं0	**रसीद सं0**	**दिनांक**	**राशि**	**जिससे वसूली गई**
1.	116	उपलब्ध नहीं	267.39	श्री लियाकत अंसारी
2.	152	14.02.02	108.90	श्री परगन सिंह
3.	245	28.02.02	1330.60	श्री लखन सिंह
4.	418	05.02.03	1188.00	श्री वकील खाँ
5.	1038	28.04.07	361.32	श्री काशी शाह
6.	980	27.04.07	1053.00	श्री लक्ष्मी राय चौधरी
कुल			**4309.21**	

उपरोक्त फॉर्म 'H' रसीद के मूल प्रति को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि करदाता से रसीद की मूल प्रति प्राप्त कर रसीद के द्वितीयक में अंकित राशि सें मिलान किया जाए एवं जाँच के फलाफल से स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार को अवगत कराया जाय ।

13. जमा नहीं :-

नगर पंचायत बैरगनिया द्वारा मकान कर, विविध कर/शुल्क टिन-टिकट इत्यादि से वसूल की गई राशि एवं जमा की गई राशि का लेखा संधारित नहीं किया गया था । लेखा परीक्षा अवधि 2001-02 से माह फरवरी 2008 (15.02.08 तक) के रसीद के जोड़ से ज्ञात हुआ कि इस अवधि में कुल रू0 803918.55 वसूल किया गया । लेखापाल रोकड़ बही में दर्ज जमा एवं चालान से कुल रू0 740825.50 (2001-02 से फरवरी 08 तक) जमा दिखाया गया । इस प्रकार रू0 63093.05 का जमा नहीं दिखाया गया ।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट IV पर दिया गया है ।)

अतः रू0 63093.05 का जमा दिखाया जाय अन्यथा इसे संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जाय । साथ ही अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी से आग्रह है कि वसूली एवं जमा से संबंधित एक विस्तृत विवरणी आंरभ से ही

तैयार किया जाय ताकि राजस्व हानि की सही स्थिति का पता लगाया जा सके।

14. **<u>खतरनाक एवं भयावह व्यापार संबंधी अनुज्ञप्ति शुल्क का बकाया</u> :-**

खतरनाक एवं भयावह शुल्क पंजी के जाँच के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि वर्ष 2001-02 से 2006-07 तक अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली शून्य थी । कुल बकाया अनुज्ञप्ति शुल्क का विस्तृत विवरण निम्न है :-

क्रम सं0	विवरण	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
1.	प्रा0 शेष	46200	49300	52400	55500	58600	61700
2.	कुल मांग	3100	3100	3100	3100	3100	3100
3.	कुल बकाया	49300	52400	55500	58600	61700	64800
4.	वसूली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अंत शेष	49300	52400	55500	58600	61700	64800

उपरोक्त कुल राशि रू0 64,800 की बकाया राशि को वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय तथा अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय ।

15. **<u>हानि राशि रू0 31,040.00</u> :-**

टिन टिकट विक्रय पंजी के जाँच के दौरान पाया गया कि 31,040.00 रू0 का टिन टिकट वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में खरीदा गया था । विवरण निम्न है :-

क्र0 सं0	वा0 सं0/ दिनांक	चैक नं0/दि0	राशि	विवरण
1.	2/11.11.04	278278/ 11.11.04	15,520.00	वर्ष 04-05 के लिए टिन टिकट
2.	उपलब्ध नहीं 27.08.04	उपलब्ध नहीं	15,520.00	आदेश फाईल के 27.08.05 के भुगतान आदेश के अनुसार वर्ष 05-06 के लिए टिन टिकट की राशि
कुल			**31,040.00**	

उपरोक्त कुल मो0 31040.00 रू0 की खरीद की गई टिन टिकट की बिक्री / वितरण नहीं की गई । अगर समय पर टिन टिकट का वितरण कर दिया जाता तो नगर पंचायत को राजस्व की प्राप्ति होती है । इस प्रकार नगर पंचायत को 31,040.00रू0 की राजस्व की हानि हुई ।

अतः स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार, पटना को प्रतिवेदन किया जाता है कि क्यों नहीं राजस्व हानि की राशि रू0 31,040.00रू0 को निम्नलिखित जिम्मेवार व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से स्थानीय निधि लेखा अधिनियम 1925 की धारा 9 (1) (ख) के अधीन अधिभार द्वारा वसूल की जाय ।

(1) श्री अशोक कुमार / का0पदा0बैरगनियाँ	31,040/-
(2) श्री युगल किशोर सिह / का0पदा0बैरगनियाँ	
(3) श्री हरिहर प्रसाद / का0पदा0बैरगनियाँ	

(अधिभार विवरणी क्रमांक 1के अनुसार)

16. **सामान्य बैठक** :-

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 48 (1) के अनुसार नगरपालिका अपने कार्य के संचालन हेतू प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बार बैठक करेगी। परन्तु कार्यवाही पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2002 में बोर्ड के गठन से 31 मार्च 2007 तक सभी प्रकार के बैठकों (मासिक एवं विशेष) को मिलाकर मात्र 25 बैठक आयोजित की गई जो कि न्युनतम अपेक्षित संख्या 57 से बहुत कम थी । बोर्ड के गठन के पश्चात नगर पंचायत के आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई । नई कर पुर्निधारण को लागु नहीं किया गया । बोर्ड द्वारा गंदी बस्ती विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं का चयन इससे संबंधित दिशा-निर्देश के अनुरूप नहीं किया गया। ऐसे वार्डो में भी योजनाएँ ली गई जहाँ गंदी बस्ती अवस्थित नहीं था ।

17. **एकादश वित्त आयोग** :-

नगर पंचायत बैरगनिया को एकादश वित्त आयोग के अतंर्गत प्राप्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

दिनांक	**विवरण**	**रकम**
31.03.03	पत्र दि0 827/22.03.03	333400
04.05.03	ड्राफ्ट संख्या 028560	1321384
21.06.04	पत्र सं0 1721/दि0 18.05.04	827392
कुल		**2482176**

नगर पंचायत द्वारा पंत्राक 19 दिनांक 17.02.04 रू0 2482176 मूल्य की छः योजनाएँ सरकार के पास प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजी गई।

सरकार द्वारा रू0 2249725 मूल्य की कुल छः योजनाओं की स्वीकृति पत्र संख्या 2281 दिनांक 28.06.04 एवं 1474 दिनांक 19.05.05 द्वारा दी गई । नगर पंचायत द्वारा योजना पंजी का संधारण नहीं किया गया । उपलब्ध कराये गये संचिका एवं अभिश्रव से ज्ञात हुआ कि सभी छः योजनाएँ नगर पंचायत द्वारा पूर्ण की जा चुकी थी ।

शेष बची राशि रू0 232451 के व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया । बची हुई राशि रू0 232451 किस उद्देश्य हेतू व्यय किया गया, अगले अंकेक्षण में बताया जाय ।

18. द्वादश वित्त आयोग :-

द्वादश वित्त आयोग के अंतर्गत नगर पंचायत, बैरगनिया को वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में रू0 1671255 प्राप्त हुआ, विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक	**रकम**
28.02.06	1002831
05.01.07	668424
कुल	**1671255**

इनमें से रू0 668424 को मार्च 07 तक बैंक में जमा नही किया गया था । योजना पंजी संधारित नहीं था । उपलब्ध कराये गये संचिका एवं अभिश्रव के आधार पर योजनाओं की सूची तैयार किया गया, जिसके अनुसार कुल रू0 (8 लाख) मूल्य की 16 योजनाएँ, जिनमें ईट सोलिंग, नाली निर्माण, पी0सी0सी0 इत्यादि शामिल थी । ली गई (विस्तृत विवरण परिशिष्ट V पर दिया गया है ।) सभी योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी थी । इन योजनाओं पर कुल व्यय 797705 रू0 किया गया । इन सभी योजनाओं का मापीपुस्त प्रस्तुत नहीं किया गया ।

द्वादश वित्त आयोग के अतंर्गत प्राप्त राशि का 50% ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन पर खर्च करना था । इस अद्देश्य हेतु कितनी राशि खर्च की गई, नहीं बताया गया ।

16 योजनाओं का मापी पुस्त उपलब्ध कराने तक इस पर किया गया व्यय रू0 797705 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है ।

१७

19. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम :-

शहरी क्षेत्र में अवस्थित गंदी बस्ती के विकास हेतु सरकार ने राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (NSDP) की शुरूआत की जिसका उद्देश्य गंदी बस्ती में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना था । इसका क्रियान्वयन निम्न शर्तो के अधीन करना था ।

1. योजना का कार्यान्वयन शहरी क्षेत्र के नेबरहुड कमिटी एवं कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाईटी के द्वारा किया जाएगा । जहॉं इन सामुदायिक विकास समिति का गठन नहीं हुआ है, वहॉं इनका गठन अविलम्ब करा लिया जाय ।
2. निर्माण का कार्य अन्य एजेन्सी यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन आदि से कराया जाना बिलकुल अनियमित है ।
3. योजना हेतु आवंटित राशि का व्यय शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वालों के क्षेत्र की सीमा से बाहर तथा ग्रामीण क्षेत्र आदि में करना अनियमितता ही नहीं राशि का दुर्विनियोग जैसा आर्थिक अपराध है ।
4. कुल आवंटन का कम से कम 10% स्लमवासियों के लिए नये आवास निर्माण/उन्नयन पर खर्च किया जायेगा ।
5. इस योजना के अंतर्गत आवंटित राशि से आवास निर्माण/उन्नयन की स्वीकृति राज्यस्तरीय समिति के द्वारा दी जाएगी ।
6. यह सुनिश्चित किया जाय कि राशि का विचलन किसी भी स्थिति में अन्य योजनाओं में न हो ।
7. शहरी स्थानीय निकाय निर्माण कार्य का सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करेगाा।
8. कार्य एक निश्चित समयावधि में पूर्ण कराया जाना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में अधुरा नहीं छोड़ा जाएगा।

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पंचायत बैरगनिया को कुल 74.46 लाख रूपये प्राप्त हुए, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

विवरण	चेक सं0/ ड्राफ्ट सं0	वर्ष	राशि	बैंक का नाम एवं खाता सं0
पत्र सं0 509 /न0वि0वि0र्दि0	डी0डी0सं0 02119/	2000-01	2573000	स्टेट बैंक ऑफ बैरगनिया, खाता सं0

22.12.2000	06.12.2000			01190005877
पत्र सं0 484 /न0वि0वि0र्दि0 02.03.2002	डी0डी0सं0 011839 /22.02.02	2002-03	1930000	स्टेट बैंक ऑफ बैरगनिया, खाता सं0 01190005877
पत्र सं0 230 /न0वि0वि0र्दि0 05.05.2005		2005-06	2943000	इलाहाबाद बैंक, पचटकी जदू,बैरगनिया खाता सं0 900011
कुल			**7446000**	

प्राप्त राशि रू0 74.46 लाख में से रू0 21.34 लाख प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैरगनिया को अग्रिम के रूप में कुल 19 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये दिया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

माह	**वाउचर सं0**	**विवरण**	**राशि**
मार्च 01	12	16 योजनाओं के लिए अग्रिम	1519800
जनवरी 02	6	3 योजनाओं के लिए अग्रिम	613800
कुल			**2133600**

इस प्रकार, नगर पंचायत, बैरगनिया के पास रू0 5312400 बचा, जिनमें से कुल रू0 834900 स्लम वासियों के लिए आवास निर्माण हेतू अलग किया गया । इसमें से कुल 23 आवास का निर्माण करना था । कुल 19 आवास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका था । बने मकान में वस्तुतः गंदी बस्ती के लोग रह रहे हैं, इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

शेष बची राशि रू0 4477500 से नगर पंचायत द्वारा सड़क, नाला एवं पी0सी0सी0 कार्य कराया गया । इस कार्य का कोई योजना पंजी नहीं रखा गया । उपलब्ध कराये गये संचिका एंव अभिश्रव के आधार पर कुल 29 योजनाओं (2002-03 में 8 तथा 2005-06 में 21) की सूची तैयार की गई । इन योजनाओं पर कुल व्यय रू0 3645623 था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट **VI** पर दिया गया है ।)

इन योजनाओं का कार्य नेबरहुड कमिटी एवं कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाईटी के द्वारा नहीं कराया गया, अपितु विभागीय कर्मचारी को अभिकर्त्ता बनाकर कराया गया । मात्र 8 वार्डो में स्लम पाकेट घोषित था, जबकि सभी 16 वार्डो में इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया गया ।

इस प्रकार, गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यो के कियान्वयन में नियमों की अनदेखी की गई । अतः इस योजना पर किया गया कुल व्यय रू0 3645623.00 के आपत्ति के निराकरण तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता हैं ।

20. <u>सरकार द्वारा बिना अनुमोदन के तैयार किए गए दर पर प्राक्कलन तैयार कर योजना का कियान्वयन (विकास निधि)</u> :-

नगर विकास विभाग के पत्र संख्या 1101, 1102 दिनांक 30.03.06 एवं 1131 दिनांक 31.03.06 से कमशः रू0 4210700, रू0 7992600 तथा रू0 2466000 कुल रू0 14669300 नगर पंचायत बैरगनिया को आवटित किये गए । किन्तु बैक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल रू0 11705700 रू0 नगर पंचायत को प्राप्त हुआ । जिसमें से रू0 9239700 बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता संख्या 3747 में तथा रू0 2466000 इलाहाबाद बैंक, पचटकीजदू, बैरगनिया खाता संख्या 90011 में जमा किया गया ।

नगर पंचायत द्वारा रू0 12203300 की कुल 52 योजनाएँ सड़क एवं नाला निर्माण से संबंधित ली गई । इन योजनाओं का प्राक्कलन कनीय अभियन्ता, बैरगनिया प्रखण्ड द्वारा तैयार किया गया । प्राक्कलन के प्रतिवेदन में प्राक्कलन को संवेदक लाभांश रहित लिखा गया था, पर प्राक्कलन में से संवेदक लाभांश नहीं काटा गया था । कनीय अभियन्ता से वार्तालाप के कम में यह जानकारी मिली कि प्राक्कलन को सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसूचित दर पर नहीं बनाया गया था, बल्कि अभियंताओं द्वारा खुद 'एक संवेदक लाभांश रहित' दर तैयार किया गया तथा इसी के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया गया । इस प्रकार तैयार प्राक्कलन को सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान की गई ।

नगर पंचायत द्वारा योजना पंजी संधारित नहीं किया गया था । योजनाओं का उपलब्ध कराये गये संचिकाओं से योजना की सूची तैयार की गई, जिसके अनुसार कुल 40 योजनाएँ जिनकी प्राक्कलित राशि 10370760.00 थी । एवं उसपर कुल रू0 10141153.00 व्यय किया गया । सभी योजना पूर्ण की जा चुकी थी । इन योजनाओं का मापी पुस्त अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट VII पर दिया गया है ।)

बिना अनुमोदित अनुसूचित दर पर प्राक्कलन में दर्शाये गए दर का सरकार द्वारा अनुमोदन होने तक योजनाओं पर खर्च की गई संपूर्ण राशि रु0 10141153.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता हैं ।

21. अधिक भुगतान (विकास निधि):-

योजना संख्या :- 51/2006-07

योजना का नाम :- बैरगनिया नगर पंचायत के वार्ड न0 1 में सुभाष जी के घर से नथुनी प्रसाद के फुलवारी तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिगं कार्य ।

प्राक्कलित राशि :-रु0 125300 /-

अभिकर्त्ता :- श्री नारायण सिंह, कनीय अभियंता

स्थिति :- पूर्ण

प्राक्कलन :-

1. E/w filling in road embankment in all kinds of soil, carriage by tractor with 40'head,1-1/2km on kacha Road 800'-0" x 10'-0" x 1'-9"=14000 cft@2127.15cft	29780.00
2. Sectioning of Road 800'-0" x 10'-0"=8000sft@26.40/sft	2112.00
3. Providing 100 A B/E Soling joint filled with Local sand vide as per elen no. (2) 8000sft@1168.20/sft	93456.00
	125348

आपूर्ति विपत्र एवं मस्टर रौल के अनुसार व्यय :-

1.ईट	में राजलक्ष्मी ईट उद्योग	28315Nos.@1977.75%/oo	56000.00
2.बालू		566.30cft@395.10%cft	2238.00
3.मिट्टी कार्य		26248.32cft@2127.15%loo cft	55834.00
4.मजदूरी			10894.00
			124966
		भुगतान किया गया	**124940**

प्राक्कलन में 14000 cft मिट्टी के प्रावधान की जगह 26248.32 cft मिट्टी का विपत्र लगाया गया । प्राक्कलन संवेदक लाभांश रहित दिखाया गया, पर प्राक्कलन में से संवेदक लाभांश नहीं काटा गया ।

कुल 28315 रु0 ईट का खरीद दिखाया गया, जिससे मात्र 5663 sft (500 ईट /100sft की दर से) ईट सोलिग का कार्य किया जा सकता है अर्थात मात्र 566'4" सड़क का निर्माण किया गया । इस प्रकार पूरे कार्य

को मात्र 566'4"लंबाई तक सीमित करने से अभिकर्त्ता को कुल रू0 36209 का अधिक भुगतान किया गया, जो नीचे के विवरण से स्पष्ट है :–

1. E/w filling in road embankment 566'4" x 10'-0" = 9910.25cft@2127.15%cft	21081.00
2. Sectioning of Road 566'-4" x 10'-0"=5663sft@26.40 %sft	1495.00
3.B/E Soling with1004 Bricks 5663 sft@1168.20%sft	66155.00
Total	**88731.00**

अधिक भुगतान रू0 124940 – 88731= 36209 रू0

अधिक भुगतान की गई राशि रू0 36209 संबंधित अभिकर्त्ता से वसूल की जाय ।

22. अधिक भुगतान :–

योजना संख्या :– 39/ 2006–07 (विकास)

योजना का नाम :– वार्ड नं0 11 में मुनेश्वर प्रसाद के घर से मोहन चौधरी के घर तक सड़क में PCC कार्य ।

प्राक्कलित राशि :– 76,600.00

अभिकर्त्ता का नाम :– श्री नारायण सिंह, क0 अ0

वास्तविक व्यय :– 76,600.00

प्राक्कलन :–

(1) Providing PCC (1:2:4) with BT stone metal & sone sand 83'-0" x 22'-0" = 1826.00cft x 0'-6" = 913.00cft@8390.35%cft = Rs. 76,804.00

913cft ढ़लाई में अधिकतम 10 मिस्त्री एवं 120 मजदूर लगना था जिसकी जगह 20 मिस्त्री एवं 165 मजदूर का मस्टर रौल दर्शाया गया । इस प्रकार 10 मिस्त्री एवं 45 मजदूरों का अधिक भुगतान हुआ जिसकी राशि रू0 3880.00 संबंधित अभिकर्त्ता से वसूल की जाय ।

गणना :–

10 मिस्त्री x रू0 82.00 = 820.00

45 मजदूर x रू0 68.00 = 3060.00

कुल 3880.00

23. विलोपित।

24. संदेहास्पद कार्य :-

योजना संख्या :- 10/2006-07

योजना का नाम :- वार्ड न0 12 में अलाउद्द्दीन के घर से भरत जी के खेत तक पक्की नाली एवं कलभर्ट निर्माण ।

प्राक्कलित राशि :- 2,80,700 ।

अभिकर्त्ता :- श्री नारायण सिंह, क0अ0

इस योजना की संचिका के अवलोकन से इस योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकट हुई :-

1. ईटं का आपूत्ति विपत्र :-

में0 राज लक्ष्मी ईटं उधोग, नन्दवारा बैरगनिया से कुल रू0 84734.00 मूल्य का ईटं क्रय किया गया । रसीद पर क्रमांक, तिथि, खरीदने वाले का नाम एवं पता तथा बेचने वाले का हस्ताक्षर नहीं था । ईटं का दर Schedule of Rate के दर @ 1977.75% दिया गया था ।

2. मेटल, सोन बालू, सिमेन्ट इत्यादि का क्रय :-

कुल रू0 134211.00 मूल्य का मेटल, सोन बालू, सीमेन्ट इत्यादि क्रय किया गया पर कैश मेमों पर पर विक्रेता के फार्म का नाम, रसीद क्रमांक एवं तिथि, खरीदने वाले का नाम एवं पता, बेचने वाले का हस्ताक्षर इत्यादि अंकित नहीं था।

3. मस्टर रौल :-

कुल रू0 59352.00 मजदुरी के भुगतान में व्यय किया गया जबकि रू0 27416.00 का ही मजदूर का मस्टर रॉल संलग्न था । मस्टर रॉल में दोहरा भुगतान के कई मामले पाये गये ।

4. मापी पुस्त :-

योजना का मापी पुस्त प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भुगतान :-

संचिका के अनुसार	**भुगतान प्राप्त किया**
प्रारंभिक राशि	280700
वास्तविक कार्य	268297
अग्रिम	15000(चैक द्वारा) 22.9.06
शेष राशि	253297

रायल्टी	857
बिक्री कर	4380
भुगतान	248060 (चैक द्वारा) 18.6.07

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस योजना पर किया गया कार्य संदेहास्पद प्रतीत हुआ, अतः कार्य की जाँच किसी सक्षम पदाधिकारी से करायी जाय, तब तक इस कार्य पर व्यय किए गए कुल राशि (2,68,297) को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है ।

25. <u>कार्य का अभिलेख अनुपलब्ध</u> :-

योजना संख्या :- 01/2000-01

योजना का नाम :- भकुरहर कबीर मिस्त्री के घर से प्राथमिक विद्यालय भकुरहर होकर आबकारी चौक, बैरगनिया तक सड़क उन्नयन कार्य ।

प्राक्कलित राशि :- 5,00,000 ।

सरकार से प्राप्त अनुदान :- रू0 500000, पत्रांक 3612/ न0वि0वि0 दिनांक 15.10.99 ।

तकनीकी स्वीकृति :- दिनांक 16.03.2000 द्वारा कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 सीतामढ़ी ।

प्रशासनिक स्वीकृति :- पत्रांक 2724/ न0वि0वि0 दिनांक 28.07.2000 ।

कार्यकारी एजेन्सी :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बैरगनिया (आदेश संख्या 123 दिनांक 18.01.2001, जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी)

क्रियान्वयन की शर्तें :-

1. योजना 31.03.2001 तक पूर्ण होना चाहिए ।
2. विभागीय कार्य होना चाहिए ।
3. विचलन नहीं होना चाहिए ।
4. मापी पुस्त एवं अभिश्रव, कार्य समाप्ति के पश्चात अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय में जमा करें ।

कार्यकारी एजेन्सी को भुगतान किया गया अग्रिम :-

दिनांक	**वाउचर सं0**	**चेक सं0**	**रकम**	**अग्रिम**
2.2.01	12	278706	200000	प्रथम
8.8.01	10	278708	300000	अंतिम
कुल			**500000**	

कार्यकारी एजेन्सी द्वारा न ही किए गए कार्य से संबंधित मापी पुस्त एवं अभिश्रव अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय में जमा किया गया और न ही लिया गया अग्रिम ही लौटाया गया ।

अतः सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से आवश्यक कागजात की माँग की जाय । स्थल जाँच कर यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्य प्राक्कलन के अनुसार हुआ या नहीं । कार्य की जाँच एवं आवश्यक कागजात उपलब्ध होने तक कुल राशि (5,00,000) को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है ।

26. **<u>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैरगनिया को अग्रिम (गंदी बस्ती विकास निधि) :-</u>**

गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (NSDP) मद से कुल 21.34 लाख रू0 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बैरगनिया को 19 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतू अग्रिम दिया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

माह	वाउचर सं0	राशि	विवरण
मार्च 01	12	1519800	16 योजनाओं के लिए अग्रिम
जनवरी 02	6	613800	3 योजनाओं के लिए अग्रिम
कुल		**2133600**	

गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देश की अनदेखी कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अग्रिम दिया गया । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैरगनिया द्वारा न तो कराये गये कार्यो का कोई लेखा - जोखा, मापी पुस्त एवं अभिश्रव ही नगर पंचायत कार्यालय में जमा किया गया और न ही अग्रिम की राशि ही वापस की गई । किए गए कार्य की जाँच किसी सक्षम पदाधिकारी से करायी जाय एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। अभिलेख प्राप्त होने तक 21,33,600 रूपये को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है ।

27. **<u>लेखा परीक्षा के परिणाम</u>** :-

लेखा परीक्षा के दौरान वसूल की गई राशि - शून्य

लेखा परीक्षा द्वारा वसूली हेतु सुझाई की राशि-1,03,182.05

अधिभार के अन्तर्गत वसूली हेतु सुझाई गई राशि -31,040.00

आपत्ति के अन्तर्गत रखी गई राशि - 1,74,86,378.00

15

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट VIII पर दिया गया है ।)

28. कार्यपालक के साथ वार्तालाप :-

लेखा परीक्षा में पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों पर बिन्दुवार नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ लेखा परीक्षा के दौरान तथा अंकेक्षण समाप्ति के दिन की गई ।

29. सामान्य अभियुक्ति :-

नगर पंचायत निधि, बैरगनिया के लेखाओं के संधारण में सुधार की काफी आवश्यकता है। रोकड़ बही का मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक योग नहीं किया गया, अग्रिम पंजी, समांजन पंजी का संधारण नहीं किया गया, वसूल की गई राशि वर्षो तक जमा नहीं की गई, शुल्क एवं करों से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारणं नही किया गया । इन पंजी / अभिलेखों के संधारण नहीं किये जाने की वजह से किसी भी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि विहित संधारण की दिशा में उचित कदम शीघ्र उठाया जाय । बकाया करों एवं शुल्कों की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप सभी प्रकार के शुल्क एवं करों का करारोपण किया जाय, ताकि नगर पंचायत निधि की अर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके एवं किसी भी अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके ।

ह०/-
रवि शंकर कुमार सिंह
अनुभाग अधिकारी (अंकेक्षण)

संo स्थाo लेoपo 1001 दिनांकः- 29/5/08

प्रतिवेदन की प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बैरगनिया, सीतामढ़ी को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि आयुक्तों की विशेष बैठक में उपस्थापित करते हुए कंडिकाओं पर विचार कर अनुपालन प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन की प्राप्ति के तीन माह के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को भेज दी जाय।

ह0/-

लेखा परीक्षा अधिकारी

अधिभार

संo स्थाoलेoपo 1002 दिनांक :- 29/5/08

प्रतिलिपिः-

1. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना ।
2. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी ।
3. अनुभाग अधिकारी/अधिभार

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अधिकारी 29.05.08.

लेखा परीक्षा अधिकारी

अधिभार

परिशिष्ट-I

लेखा परीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना लेखा परीक्षा की गई अभिलेखों की सूची
(प्रतिवेदन की कंडिका 3 के संदर्भ में)

1. लेखापाल रोकड़ बही
2. विविध रसीद बुक
3. फॉर्म "एच" रसीद बुक
4. विविध रसीद बुक
5. विविध रसीद भंडार पंजी
6. फॉर्म "एच" रसीद भंडार पंजी
7. असुरक्षित एवं भयावह अनुज्ञप्ति मांग वसूली पंजी
8. भविष्य निधि पंजी
9. भविष्य निधि पास बुक
10. योजना संचिका (अंशतः)
11. कोषागार चालान
12. बैंक पास बुक (स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा)

परिशिष्ट-II

अनुपलब्ध/असंधारित अभिलेखों की सूची
(प्रतिवेदन की कंडिका 3 के संदर्भ में)

1. कोषागार पास बुक
2. लेखापाल रोकड़ बही
3. सहायक रोकड़ बही
4. स्टाम्प विनियोग पंजी
5. लेजर बही
6. मुख्य करों का [illegible] एवं वसूली [illegible]
7. सेवा पुस्तिका
8. बजट
9. वार्षिक वित्तीय विवरण
10. वेतन निस्तारण पंजी
11. वेतन निर्धारण सूची
12. बैंक अग्रिम पंजी
13. ऋण एवं अनुदान पंजी
14. दैनिक संग्रह पंजी
15. कर निर्धारण बही

परिशिष्ट – III

वित्त

(कंडिका सं० 5 के अनुसार)

क्र० विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1. आरंभिक शेष	470901.51	459575.01	1999579.51	2728696.51	2963240.20	1391778.20
2. प्राप्तियाँ						
(i) अनुदान (वेतन)	65405.00	66398	59720	—	137515	
(ii) ऋण (वेतन)	65405.00	66399	59720	—	56623	
(iii) सड़क निर्माण विशेष अनुदान	300000.00					
(iv) आंतरिक मुद्रांक शुल्क	99836.00	83202.50	447216	—	506081	
(v) एकादश वित्त	—	333400	1321384	827392		
(vi) द्वादश वित्त	—	—	—	—	1002831	668424
(vii) एस० जी० आर० वाई०	—	—	375000	140480	240000	
(viii) गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	—	1930000	—	—	2943000	11705700 ~~11605700~~
(ix) विकास निधि	—	—	—	—	—	425000
(x) उपकरण खरीद हेतु	—	—	—	—	—	
(xi) अन्य (नीलाम/...)	—	—	—	—	—	104463
(xi) स्वयं के स्रोत से आय	171066.50	45711	17524	153928	32596	गु-शं
(xii) विविध कार्य (टाउन)	—		23282	28458.69	35604	9787
3. कुल प्राप्तियाँ	701712.50	2525110.50	2303846.00	1150258.69	4954250	12813374.00
4. कुल योग	1172614.01	2984685.51	4303425.51			
5. व्यय						
(i) स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय	413039	285206	531313	337414	951815	654403
(ii) योजना पर व्यय	300000	699900	1043416	578300	5573897	10898238
	713039.00	985106.00	1574729.00	915715	6525712	11552641
6. कुल व्यय						
7. अंतिम शेष	459575.01	1999579.51	2728696.51	2963240.20	139178.20	275251.20